(200)

प्रकरण सं. 28/2023 कैलाशचन्द्र बनाम रामचन्द्र

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/12/25	पत्रावली पेश हुई। अवकाश/स्थानीय अवकाश/पीठासीन अधिकारी ... का कार्य स्थगित किया गया है। पत्रावली वास्ते ... आदेश दिनांक 7/1/26 को पेश हो। आदेश से रीडर	
7/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी - अप्रार्थी अधिवक्ता उप.। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस हेतु दिनांक 12/1/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 7/1/26	
12/1/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी- अप्रार्थी अधिवक्ता उप.। उभयपक्षकारान् अधिवक्तागण की अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि ग्राम पुर की वादग्रस्त आराजी न. 8387, 8388 एवं 8394 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9025 है. भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है, प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा है। वादीगण का भीलवाड़ा-उदयपुर फोरलेन पर 1/3 हिस्सा अनुसार काबिज है, इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 व 2 अपने हक हिस्सेनुसार काबिज हैं। विपक्षी सं. 1 व 2 मुख्य सड़क की सम्पूर्ण भूमि पर अपना कब्जा कर अपना हक हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। वादग्रस्त भूमि में सहखातेदारों के मध्य [illegible] बाजाब्ता के आधार पर विभाजन होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाई रखी जावे तथा प्रार्थी के पक्ष में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20/10/2023 को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किये जाने का आदेश पारित किया जावे। अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का प्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 के मध्य उनके पूर्वज देवीचंद जी विरासत के अनुसार -	

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 28/2023 कैलाशचन्द्र बनाम रामचन्द्र

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/1/26	मध्य मौखिक विभाजन हो चुका था। पूर्व में किये गये मौखिक विभाजन को सभी पक्षकारान की सहमति से दिनांक 17/11/2014 को लिखित रूप से किया जा चुका है। उक्त लिखित विभाजन पत्र प्रार्थीगण के पिता के निधन होने से वर्तमान वाद के सभी प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है। अतः उक्त विभाजन अंतिम हो चुका है और सभी पक्षकारान उक्त विभाजन से पाबन्द है। उक्त विभाजन पत्र के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा सभी विपक्षी सं. 1 व 2 को दिये जाने एवं शेष की भूमि सुरक्षित रूप से उपलब्ध रहने का अंकन पर सहमति में हस्ताक्षर किये गये है। अतः वादग्रस्त भूमि में पूर्व में मौखिक विभाजन तथा लिखित विभाजन अनुसार पक्षकारान अपनी-अपनी भूमि पर काबिज है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का समर्थन करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 2 को तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि में जो हक हिस्सा प्राप्त हो रहा है, उसका निर्धारण लिखित विभाजन में किया जा चुका है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 की भूमि ही राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त किये जाने का अंकन है, इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 की विभाजित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आती है, अतः वादग्रस्त भूमि पक्षकारान के मध्य पूर्व से विभाजित होने के कारण प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20/10/2023 को समाप्त किया जावे। उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्बन्धित विधि का अनुशीलन	

—लगातार—

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

(200) प्रकरण सं. 28/2023 कैलाशचन्द्र बनाम रामचन्द्र

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/1/26	किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की सहखातेदारी भूमि है। सहखातेदारी भूमि के विभाजन बाबत् प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि का अंतिम विभाजन वादी के अनुतोष अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर होगा अथवा प्रतिवादीगण के जवाब दावा अनुसार पूर्व के मौखिक/लोकिक विभाजन अनुसार होगा, इस बिन्दु का विनिश्चय तनकीयात कायम किये जाने के उपरान्त ही सम्भव है। साथ ही न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह नवीन वादकारणों को उत्पन्न होने से रोके तथा नवीन वाद-विवादों को जन्म होने के कारक उत्पन्न नहीं होने देवे। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि उभयपक्षकारान् को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे तथा उभयपक्षकारान् को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि में किसी विनिर्दिष्टिकृत भू-भाग का अन्तरण जरिये बेचान, विनिमय, गिफ्ट, दान करने से रोका जावे। अतएवं **आदेश** प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और उभयपक्षकारान् को मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि ग्राम पुर की आराजी नं. 8387, 8388 एवं 8395 कुल किता 3 कुल रकबा 1.9025 हे. भूमि की मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है और उभयपक्षकारान् को वादग्रस्त भूमि में विनिर्दिष्टिकृत भू-भाग का बेचान नहीं करने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है। वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किसी खातेदार की मृत्यु होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार स्वीय विधि से (नामान्तरण)	

लगातार -

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. ....

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहलकार जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/1/26	विरासत के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करने पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। [signature] 12/1/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	